



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 781) पटना बुधवार 15 जुलाई 2026

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
23 जून 2026

सं० नि. प्रा./नि 01-04/2026/1530—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 02 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं अथवा जिनका निर्वाचन देय है या जिनके पद रिक्त है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक- 1 में अंकित 02 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.07.2026 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या-1321 दिनांक 27.05.2026 द्वारा 02 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का मतदाता सूची तैयार करने

के लिए कट-ऑफ तिथि 31.05.2026 को निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 17.06.2026 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 8529 दिनांक 01.11.2017 की कंडिका 2 (i) (ख) के आलोक में “बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना” के अंतर्गत निबंधित समितियों में आरक्षण के प्रावधान अपवर्जित रहेंगे।

5. उपर्युक्त के आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित 02 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है—

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	30.06.2026 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	16.07.2026 (गुरुवार) एवं 17.07.2026 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	18.07.2026 (शनिवार) एवं 20.07.2026 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	22.07.2026 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	29.07.2026 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	29.07.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	31.07.2026 (शुक्रवार)

6. सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई. 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 30.06.2026 (मंगलवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र-ई. 1 को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई. 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई. 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

8. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निर्देश दिये गये हैं।

9. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र ई. 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 31.07.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

आदेश से,
कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-01

निर्वाचन हेतु प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला	प्रखंड	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कैमूर (भभुआ)	दुर्गावती	दुर्गावती प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
2	दरभंगा	कुशेश्वरस्थान	कुशेश्वरस्थान प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है—

क्र0	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्टि/अपलोड की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र-ई0 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हों अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्टि करना है। साथ ही प्रपत्र-ई0 1 को अपलोड भी करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/निर्विरोध/मतदान स्थगित को प्रविष्टि करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्टि करना है।

2. प्रपत्र-ई0 1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/निर्विरोध/मतदान स्थगित /मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किए जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

3. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है—

क्र0	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-ई0 18)
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर {Scan Resolution – Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode-Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File Size-Maximum 20 MB (यदि मोबाईल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)} कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

प्रपत्र-ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाईट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है—

1. श्री वेद प्रकाश— 7543014562
2. श्री अमित अमन— 9507066220

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 781-571+50-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>